एडीजी परिपत्र संख्याः- 5 /2018

चन्द्र प्रकाश
आई.पी.एस.

अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः अप्रैल ,2018

प्रिय महोदय,

आप सभी अवगत हैं कि विगत वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में कम्प्यूटर के अधिकाधिक प्रचलन के फलस्वरूप साइबर अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इनमें मुख्यतः कम्प्यूटर के माध्यम से की जाने वाली धोखाधड़ी, ए0टी0एम0/बैंक फ्राड, अश्लीलता फैलाना, धमकी देना, निजता हनन, साइबर आतंकवाद, साइबर मानहानि, पहचान चुराना आदि अपराध शामिल हैं। आम जनता के मध्य इस अपराध से जुड़े तथ्यों की जानकारी के अभाव के कारण अपराधी उन्हें आसानी से लक्ष्य बना लेते हैं।

2. इन अपराधों के प्रति जन सामान्य को जागरूक किये जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित बिन्दुओं को प्रचारित प्रसारित किया जायेः-

- मोबाइल/कम्प्यूटर पर अपने बैंक/ए0टी0एम0 एवं व्यक्तिगत जानकारी किसी को साझा न करें।
- ए0टी0एम0 से पैसा निकालते समय ए0टी0एम0 बूथ के अन्दर अकेले जायें तथा किसी भी अनजान व्यक्ति से सहयोग न लें।
- फेसबुक के माध्यम से जान पहचान बनाकर आत्मीयता स्थापित करने वालों को किसी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी न दें तथा उनके किसी झॉसे में न फसें।
- किसी ऑनलाइन लॉटरी, प्रतियोगिता आदि के विजेता होने का लालच देने वालों के झॉसे में न पड़े और न ही उनके कहने पर कोई धन जमा करायें।
- Facebook, Whatsapp एवं Wi-Fi आदि का पासवर्ड किसी को न बतायें तथा उसे समय-समय पर बदलते रहें।
- अश्लीलता एवं साम्प्रदायिकता फैलाने वाले किसी भी मैसेज को साझा न करें।

3. इन अपराधों के प्रति आम जन को सतर्क रखने के उद्देश्य से पम्पलेट/बैनर/पोस्टर के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये साथ ही शिक्षण संस्थानों, बैंकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, रेलवे स्टेशन व बस स्टेशनों पर इन अपराधों के बचाव हेतु स्थानीय पुलिस की टीम गठित कर

Scanned by CamScanner

उसके माध्यम से जन सामान्य को समय-समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जाये। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया/रेडियो/टीवी तथा सिनेमाघरों के माध्यम से भी जनता को जागरूक किया जाये। जनपद के समस्त बैंकों/ए0टी0एम0 के दृश्य स्थान पर आम जनता की सुविधा के लिए क्या करें क्या न करें (Do's & Don'ts) के बोर्ड लगाये जायें, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं भ्रामक सामग्री के खण्डन हेतु जनता के लोगों में से अधिकाधिक डिजिटल वालण्टियर बनाये जायें, जो विशेष पुलिस अधिकारी (S.P.O.) की भाँति कार्य करें, इनकी समय-समय पर गोष्ठी कर इन्हें और अधिक जागरूक बनाया जाये।

4. मै अपेक्षा करता हूँ कि आप उक्त निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर एक व्यापक अभियान चलाकर इस सम्बन्ध में कार्यशालायें आयोजित करें ताकि इन अपराधों के प्रति जन सामान्य को जागरूक बनाया जा सके।

सद्भाव,

भवदीय,

24/4/18

(चन्द्र प्रकाश)

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।
समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, उ0प्र0।
3. समस्त राजपत्रित अधिकारी मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0।

Scanned by CamScanner